न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /एलआर/2295/2022/अजमेर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— कालू पुत्र सुजा हरिजन, निवासी ग्राम गनाहेड़ा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

2— हजारी लाल बैरवा पुत्र चिमनलाल, निवासी ई—151, रमेश मार्ग, सी— स्कीम, जयपुर।

3— हनुमान सिंह पुत्र गुमान सिंह (मृतक) जरिये वारिसान :—
3/1. रणवीर सिंह पुत्र हनुमान सिंह,
3/2. बलवीर पुत्र हनुमान सिंह,
3/3. विजय सिंह पुत्र हनुमान सिंह,
3/4. पुष्पा सिंह पुत्री हनुमान सिंह,
3/5. शेर सिंह पुत्र हनुमान सिंह,
3/6. सुनीता सिंह पुत्री हनुमान सिंह,
3/7. पृथ्वी सिंह पुत्र हनुमान सिंह,
3/8. रघुवीर सिंह पुत्र हनुमान सिंह,
3/9. अनिता सिंह पुत्री हनुमान सिंह,
3/10. भवानी सिंह पुत्र हनुमान सिंह,
3/11. राजा भीम सिंह पुत्र हनुमान सिंह,

4— शेरसिंह मेहरा पुत्र हनुमान सिंह,

5— राकेश सिंह मेहरा पुत्र हनुमान सिंह,

6— रघुवीर सिंह मेहरा पुत्र हनुमान सिंह,

7— सुश्री अनिता सिंह मेहरा पुत्री हनुमान सिंह,
समस्त निवासीगण कमला सिंह नगर, कालावाड रोड़, मांचवा तहसील व जिला जयपुर हाल निवासी मीरशाह अली कोलोनी, अजमेर।

..... प्रत्यर्थीगण

अपील / एलआर / 2295 / 2022 / जिला अजमेर
राज. सरकार बनाम कालू व अन्य

एकल–पीठ
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री करणसिंह गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री समीर अहमद एवं श्री लव प्रताप सिंह, विद्वान अधिवक्तागण वास्ते प्रत्यर्थीगण।

निर्णय दिनांकः–

1– यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 511/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15–1–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी राज्य सरकार ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन अधिनियम, 1970 के तहत् विद्वान जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर स्थित आराजी खसरा संख्या 1937/2025 रकबा 11 बीघा भूमि गैर मुमकिन टीबा को उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 26–9–1971 को अप्रार्थी संख्या 1 कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया। वर्कित जमाबंदी के खाता संख्या 418 मे खसरा संख्या 1937/2025 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2039 से 2063 के अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होना पाया गया है व आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। साथ ही विवादित आवंटित भूमि अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला क्षैत्र से लगती होने व मेला प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन आदेश नियमों के अंतर्गत आवंटन सलाहकार समिति एवं अपेक्षित कोरम के अभाव में विधिक प्रक्रिया

के विपरीत किया गया है। अतः सार्वजनिक हित एवं राजहित के मध्यनजर उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों से आवंटन निरस्त किया जाये। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया। न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुनते अपने निर्णय दिनांक 9–11–2016 द्वारा अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 15–1–2019 द्वारा स्वीकार करते हुए जिला कलेक्टर, कलेक्टर अजमेर के निर्णय दिनांक 9–11–2016 को अपास्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर का निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी गैर मुमकिन टीबा की भूमि है तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला क्षैत्र से लगती हुई है एवं मेला प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाती है। ऐसी आराजी का कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई एवं ना ही काश्त की है। मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का गनाहेडा के अनुसार मौके पर खसरा नं. 1937/2025 में प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन एवं यार्ड के पिलर लगे हुए है। मौके पर उक्त खसरा नंबर पड़त व पुष्कर सीमा से लगती हुई है एवं मेला प्रभावित क्षैत्र में है। प्रत्यर्थीगण वरवक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार नहीं था और भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखता था और आवंटी ने आवंटन के पश्चात् भूमि

को काश्त नहीं की और आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया, जिस पर अति. जिला कलेक्टर ने सही रूप से आवंटन को निरस्त करने का आदेश पारित किया था, किन्तु राजस्व अपील अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर आवंटन को यथावत् रखने का आदेश पारित करने में भूल कारित की है। अंत में प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–1–2019 को अपास्त करते हुए जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–11–2016 को बहाल रखा जाने एवं आवंटन आदेश दिनांक 26–9–1971 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि विवादित आराजी प्रत्यर्थी कालू को दिनांक 26–9–1971 को आवंटित की गई थी एवं उसी दिनांक को लगभग 68 व्यक्तियों को अलग–अलग भूमियों का आवंटन किया गया। राज्य सरकार द्वारा उक्त समस्त भूमियां आवंटन किये जाने से पूर्व भूमि की किस्म बाबत् आवंटन सलाहकार समिति को पूर्ण जानकारी दी गई थी तथा उद्घोषणा जारी किये जाने के पश्चात् उपलब्ध प्रार्थना पत्रों की पूर्ण जांच की गई थी। विवादित भूमि आवंटन किये जाने की दिनांक को किस्म गैर मुमकिन टीबा थी, जो आवंटन किये जाने योग्य भूमि थी। प्रत्यर्थी कालू बरवक्त आवंटन भूमिहीन कृषक था, जिसके प्रार्थना पत्र पर पूर्ण जांच करने के पश्चात् उसको भूमि आवंटन की गई एवं आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण था। अपीलार्थी को भूमि के आवंटन किये जाने की जानकारी प्रारंभ से थी तथा उनके द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना किये जाने पर भूमि के गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। बरवक्त सेटलमेंट उक्त भूमि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सहवन से सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त गलत इन्द्राज के विरूद्ध प्रत्यर्थी कालू ने राजस्व मण्डल में

निगरानी प्रस्तुत की, जिसे निर्णय दिनांक 10–2–2000 द्वारा स्वीकार करते हुए भू–प्रबंध विभाग के आदेश दिनांक 1–2–1991 को क्षैत्राधिकार से बाहर मानते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही राजस्व मण्डल ने प्रत्यर्थी कालू का आवंटन बदस्तूर रखते हुए उसकी खातेदारी को यथावत् रखा। उक्त आदेश दिनांक 10–2–2000 प्रभावी है एवं इसके विरूद्ध किसी पक्षकार द्वारा आज दिनांक तक कोई चाराजोही किसी न्यायालय में नहीं की गई है। न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर को 36 साल वाद उक्त आवंटन निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था एवं ना ही नियम 14(4) में कालू के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई तत्व मौजूद है। बरवक्त आवंटन उक्त भूमि पुष्कर मेला क्षेत्र से लगती हुई नहीं थी तथा न आज है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय पारित किया गया है, जो विधिनुरूप है तथा इसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया तथा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

1. आरआरटी 2008(1) (एचसी) 610,
2. डीएनजे 2018(2) (राज.) 726,
3. आरबीजे 1995 (एचसी) 780,
4. आरबीजे 2009 201,
5. एआईआर 1994 (एससी) 1128,
6. आरआरडी 1996 500,
7. आरआरडी 1999 (एचसी) 597,
8. आरआरडी 2003 पेज 291,
9. आरआरडी 2001 (एचसी) 133 एवं
10. डीएनजे 1997 (राज.) 632.

5— ***अवधार्य प्रश्न :—***

''आया योग्य प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 15—1—2019 द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9—11—2016 को अपास्त करने में कोई तथ्य या विधि संबंधी त्रुटि कारित की है?''

6— ***विनिश्चय :—*** अपीलार्थी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

7— ***विनिश्चयन के कारण :—*** पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर स्थित आराजी खसरा संख्या 1927/2025 रकबा 11 बीघा भूमि गैर मुमकीन टीबा को अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 26—9—1971 को अप्रार्थी कालू पुत्र सूजा हरिजन को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया था। उक्त आवंटन रद्द करने हेतु तहसीलदार, अजमेर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 जिला कलेक्टर, अजमेर के समक्ष पेश किया। योग्य अधीनस्थ जिला कलेक्टर, अजमेर ने उभय पक्षों को सुनकर दिनांक 9—11—2016 को उक्त आवंटन निरस्त कर दिया। जिला कलेक्टर, अजमेर ने अप्रार्थी कालू का आवंटन रद्द करने का आधार उसका आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होना एवं आवंटन सलाहकार समिति एवं अपेक्षित कोरम के अभाव में किया जाना माना है। इसके अलावा एक अतिरिक्त कारण जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा यह दिया गया है कि विवादित आवंटित भूमि पुष्कर मेला क्षैत्र से लगती हुई है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर की पत्रावली में आवंटन आदेश दिनांक 26—9—1971 की प्रति शामिल है, जिसके मुताबिक उक्त आदेश में अप्रार्थी कालू सहित कुल 69 लोगों को कृषि भूमि आवंटित की गई है, अन्य 68 व्यक्तियों के आवंटन के संबंध में प्रार्थी तहसीलदार ने क्या कार्यवाही की, ऐसा अभिवचनों में एवं बहस के दौरान स्पष्ट नहीं किया गया है।

8– प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ***2008(1) आरआरटी 610, बउनवान पप्पू व अन्य बनाम जगराम व अन्य में*** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आंवटी द्वारा 02 वर्ष भूमि काश्त नहीं किये जाने के आधार पर आवंटन निरस्त किये जाने को गलत माना है।

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत ***2018(2) डीएनजे (राज.) 726, बउनवान राजस्थान राज्य बनाम शंकरलाल नट व अन्य*** में स्पष्टतः अवधारित किया है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 में तीन वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्राधान है तथा खातेदारी अधिकार प्रदान होने के बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता।

उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी अवधारित किया है कि तीन वर्ष की अवधि के बाद खातेदारी प्रदान होने की उपधारणा की जायेगी तो ऐसी स्थिति में भूमि के काश्त न करने के आधार पर आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता।

एक अन्य न्यायिक दृष्टांत ***पटराम बनाम बनाम राजस्थान राज्य*** में भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्टत यह अवधारित किया है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत् खातेदारी अधिकार मिलने के बाद अलोटमेंट निरस्त नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत ***ए.आई.आर. 1128 (एस.सी.), बउनवान ब्रजलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं अन्य*** के मामले में अवधारित किया है कि जब अलोटी के द्वारा अलोटमेंट के समय कोई झूंठी घोषणा किये जाने का सबूत नहीं हो तो दो दशाब्दियों तक संबंधित भूमि में कृषि करने के पश्चात् उसका अलोटमेंट को रद्द नहीं किया जा सकता।

9— योग्य अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णयानुसार अभिलेख अनुसार विवादित आराजी का आवंटन से पूर्व सार्वजनियक उद्घोषणा जारी कर आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर नियमानुसार सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् आवंटन दिनांक 26—9—1971 को किया गया एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यर्थी कालू को कब्जा दिनांक 20—6—1972 को दिया गया। इसके पश्चात् आवंटी को बेदखल किये जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2039—2063 तक में बोई जींस बाजरा, मोठ, मूंगफली दशाई हुई है। अपीलीय न्यायालय ने आवंटी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं होने का आक्षेप दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होना मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटन किया जाना पाया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रश्नगत आवंटित भूमि मेला क्षैत्र के उपयोग के लिये आवंटित नहीं होना मानते हुए इस तथ्य की भी पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत् प्रश्नगत आवंटन आवंटी द्वारा छल या कपट से अथवा तथ्य छुपाकर मिथ्या व्यपदेशन से या नियम विरूद्ध तरीके से कराया गया हो, ऐसा कोई आक्षेप भी प्रकरण में नहीं होना माना है। इस एकल पीठ की सुविचारित राय में आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है तथा खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् उसे टिनेन्सी अधिकार प्राप्त हो जाते है तथा इन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अपास्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में आवंटी को वर्ष 2004 में ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के तहत् खारिज नहीं किया जा सकता। हमारी सुविचारित राय में आवंटन कमेटी ने

पूरी प्रक्रियानुसार आवंटन कार्यवाहीं की है। आवंटन सलाहकार समिति उन्हीं खसरा नंबर का आवंटन करती है जो उद्घोषित हो। उद्घोषणा नहीं की गई, इस तथ्य को अपीलांट प्रमाणित नहीं कर पाया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवेहलना बाबत् किसी प्रकार का तथ्य पत्रावली से साबित नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर तथा इस एकल पीठ के समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध माना जा सके।

10— अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में योग्य अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई तथ्य या विधि संबंधी त्रुटि प्रकट नहीं होती है, जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित किया जाये। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

11— परिणामतः हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य